

भाग-III

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत
धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक मोटर मार्ग

लम्बाई - 04.00 किमी०

(प्रस्ताव संख्या 39043/2019)

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14- स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हाँ। दिनांक 02.09.2023।
15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग: ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ, सहमत।
16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- 09.10.2023

स्थान:- अल्मोड़ा।



(पी०के० पात्रों)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 1032 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 12/10/2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में जिला योजना के अन्तर्गत धरमघर कोटमन्या मोटर मार्ग से छिपछिया तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/39043/2019।

सन्दर्भ :- प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर की पत्र संख्या 2600/12-1 (2) दिनांक 18.01.2023।

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत हैलीपैड से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्ताव की 03 हार्ड कॉपियां Part-I, Part-II and Part-III सहित संलग्न कर तीन हार्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- 03 हार्ड कॉपियां।

भवदीय



(पी०के० पात्रो)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा